नकल संबाले सं0 18288 दिनांक 15/09/22

न्यायालय उप जिलाधिकारी, मेरठ।

वाद संख्या 13/2008
शान्ति निकेतन ट्रस्ट द्वारा
चेयरमैन चाननलाल ढींगरा

धारा 143 जे0ए0एण्ड एल0आर0एक्ट
बनाम सरकार

ग्राम कायस्थ गांवडी परगना तहसील व जिला मेरठ।

नकल

:: निर्णय ::

प्रार्थी शान्ति निकेतन ट्रस्ट द्वारा चेयरमैन चाननलाल ढींगरा पुत्र श्री चुन्नीलाल ढींगरा निवासी सी-1 गुरुनानकपुरा मोदीनगर जिला गाजियाबाद की ओर से धारा 143 यू0पी0जे0ए0 एण्ड एल0आर0एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी द्वारा "शान्ति निकेतन ट्रस्ट कॉलिज" की स्थापना हेतु ग्राम कायस्थ गांवडी परगना तहसील व जिला मेरठ मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 412 रकबा 0.274 है0, खसरा नम्बर 420 रकबा 0.611 है0, खसरा नम्बर 418 रकबा 0.552 है0, खसरा नम्बर 537 रकबा 1.211 है0, खसरा नम्बर 539 रकबा 1.342 है0, खसरा नम्बर 419 रकबा 0.444 है0, कुल नम्बरान 6 कुल रकबा 4.434 है0 पर "शान्ति निकेतन ट्रस्ट कॉलिज" की स्थापना की जा रही है। उपरोक्त भूमि अब कृषि कार्य के उपयोग की नहीं है। उक्त भूमि अज्यूकेशन जोन/आवासीय हो गयी है। प्रार्थी ने उपरोक्त विवादित भूमि को धारा 143 यू0पी0जे0ए0 एण्ड एल0आर0एक्ट के अन्तर्गत अकृषक घोषित करने का अनुरोध किया है। प्रार्थी की ओर से ग्राम कायस्थ गांवडी परगना तहसील व जिला मेरठ की वर्ष 1414 ता 1419 फसली के खाता संख्या 00216, 00153, 00065, 00102, 00221, 00335 की खतौनी, मौके का फोटोग्राफ व खसरा संख्या 412/0.274 है0 का विक्रय पत्र दिनांक 17.05.2008, खसरा संख्या 420/0.611 है0 का विक्रय पत्र दिनांक 21.07.2008, खसरा संख्या 419/0.444 है0 का विक्रय पत्र दिनांक 27.06.2008, खसरा संख्या 539/1.342 है0 का विक्रय पत्र दिनांक 31.05.2008, खसरा संख्या 418/0.552 है0 का विक्रय पत्र दिनांक 22.05.2008, खसरा संख्या 537/1.211है0 के विक्रय-पत्र दिनांक 22.05.2008 की छायाप्रति दाखिल की गयी है।

राजस्व अभिलेखागार प्रतिलिपि अनुभाग कलक्ट्रेट, मेरठ

प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर तहसील मेरठ से आख्या प्राप्त की गई, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 व नियम 135 के अन्तर्गत तहसील आख्या दिनांक 29.09.2008 के द्वारा अवगत कराया है कि ग्राम कायस्थ गांवडी परगना तहसील व जिला मेरठ में भूमि खसरा नम्बर 412 रकबा 0.548 है0 मे आवेदक 1/2 भाग अर्थात् 0.274 है0, खसरा नम्बर 420 रकबा 0.611 है0, खसरा नम्बर 418 रकबा 0.552 है0, खसरा नम्बर 537 रकबा 1.211 है0, खसरा नम्बर 539 रकबा 1.342 है0, खसरा नम्बर 419 रकबा 0.444 है0 का प्रार्थी शान्ति निकेतन ट्रस्ट द्वारा चेयरमैन चाननलाल ढींगरा पुत्र श्री चुन्नीलाल ढींगरा निवासी सी-1 गुरुनानकपुरा मोदीनगर जिला गाजियाबाद का बतौर संक्रमणीय भूमिधर व स्वामी है। स्थल पर प्रश्नगत भूमि में कृषि, बागवानी, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन अथवा कृषि से सम्बन्धित अन्य कोई कार्य नही हो रहा है, बल्कि मौके पर कालिज की बिल्डिंग व चार दीवारी का निर्माण हो रहा है। तहसील आख्या में उपरोक्त प्रश्नगत भूमि को उ0प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा-143 के अन्तर्गत अकृषक घोषित किये जाने की संस्तुति की है।

मैंने प्रार्थी की तर्कपूर्ण बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र दिनांक 17.05.2008 के द्वारा विक्रेता पदम सिंह पुत्र कंवल सिंह निवासी ग्राम इकला तहसील व जिला मेरठ के द्वारा ग्राम

क्रमशः पृष्ठ 2 पर.......

5 रु.
Rs.5
COURT FEE
भारत
INDIA
पाँच रुपये
FIVE RUPEES
स्टाम्प खण्डित
5 रु.
Rs.5
भारत
पाँच रुपये
FIVE RUPEES
स्टाम्प/खण्डित
2 रु.
Rs.2
भारत
दो रुपये
TWO RUPEES
स्टाम्प/खण्डित
2 रु.
Rs.2
भारत
दो रुपये
TWO RUPEES
स्टाम्प/खण्डित

कायस्थ गांवडी में स्थित भूमि खसरा संख्या 412 रकबा 0.548 है0 में से 0.274 है0 भूमि को शान्ति निकेतन ट्रस्ट द्वारा चेयरमैन चाननलाल ढीगरा पुत्र श्री चुन्नीलाल ढीगरा निवासी सी–1 गुरूनानकपुरा मोदीनगर जिला गाजियाबाद के पक्ष में किया जा चुका है, जिसका अमलदरामद खतौनी वर्ष 1414 ता 1419 फसली के खाता संख्या 00216 पर अंकित है, विक्रय–पत्र दिनांक 21.07.2008 के द्वारा विक्रेतागण जुगेन्द्र सिंह, देवेन्द्र सिंह, गजेन्द्र सिंह, हरेन्द्र सिंह, रविन्द्र सिंह, जयनरेन्द्र सिंह पुत्रगण टीकम सिंह, अजय कुमार पुत्र विरेन्द्र सिंह, श्रीमती जगवीरी पत्नि स्व0 श्री सुरेन्द्र सिंह, मनोज व विनोद पुत्रगण स्व0 श्री सुरेन्द्र सिंह निवासीगण ग्राम कायस्थ गांवडी परगना तहसील व जिला मेरठ के द्वारा ग्राम कायस्थ गांवडी में स्थित भूमि खसरा संख्यां 420 रकबा 0.611 है0 को शान्ति निकेतन ट्रस्ट द्वारा चेयरमैन चाननलाल ढीगरा पुत्र श्री चुन्नीलाल ढीगरा निवासी सी–1 गुरूनानकपुरा मोदीनगर जिला गाजियाबाद के पक्ष में किया जा चुका है, जिसका अमलदरामद खतौनी वर्ष 1414 ता 1419 फसली के खाता संख्या 00153 पर अंकित है, विक्रय पत्र दिनांक 27.06.2008 के द्वारा विक्रेता गुलवीर सिंह पुत्र श्री बाबूराम निवासी ग्राम कायस्थ गांवडी परगना तहसील व जिला मेरठ के द्वारा ग्राम कायस्थ गांवडी में स्थित भूमि खसरा संख्या 419 रकबा 0.444 है0 को शान्ति निकेतन ट्रस्ट द्वारा चेयरमैन चाननलाल ढीगरा पुत्र श्री चुन्नीलाल ढीगरा निवासी सी–1 गुरूनानकपुरा मोदीनगर जिला गाजियाबाद के पक्ष में किया जा चुका है, जिसका अमलदरामद खतौनी वर्ष 1414 ता 1419 फसली के खाता संख्या 00102 पर अंकित है, विक्रय पत्र दिनांक 31.05.2008 के द्वारा विक्रेता श्रीमती सत्यवती पत्नि श्री वेदप्रकाश त्यागी निवासी ग्राम अच्छेजा तहसील हापुड जिला गाजियाबाद व श्रीमती उमा त्यागी पत्नि श्री विनोद त्यागी निवासी ग्राम निवाडी तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद व श्रीमती ममता त्यागी पत्नि श्री ब्रजमोहन त्यागी, निवासीगण ग्राम सारा तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद के द्वारा ग्राम कायस्थ गांवडी में स्थित भूमि खसरा संख्या 539 रकबा 0.342 है0 को शान्ति निकेतन ट्रस्ट द्वारा चेयरमैन चाननलाल ढीगरा पुत्र श्री चुन्नीलाल ढीगरा निवासी सी–1 गुरूनानकपुरा मोदीनगर जिला गाजियाबाद के पक्ष में किया जा चुका है, जिसका अमलदरामद खतौनी वर्ष 1414 ता 1419 फसली के खाता संख्या 00221 पर अंकित है। विक्रय पत्र दिनांक 22.05.2008 के द्वारा विक्रेता कृष्ण कुमार पुत्र श्री ओमकार सिंह निवासी ग्राम कायस्थ गांवडी तहसील व जिला मेरठ के द्वारा ग्राम कायस्थ गांवडी मे स्थित भूमि खसरा संख्या 418 रकबा 0.552 है0 को शान्ति निकेतन ट्रस्ट द्वारा चेयरमैन चाननलाल ढीगरा पुत्र श्री चुन्नीलाल ढीगरा निवासी सी–1 गुरूनानकपुरा मोदीनगर जिला गाजियाबाद के पक्ष में किया जा चुका है, जिसका अमलदरामद खतौनी वर्ष 1414 ता 1419 फसली के खाता संख्या 00065 पर अंकित है। विक्रय पत्र दिनांक 22.05.2008 के द्वारा विक्रेता राजकुमार व सोहनवीर व कृष्ण कुमार व अवधपाल व कुलदीप पुत्रगण श्री ओंकार सिंह निवासी ग्राम कायस्थ गांवडी परगना तहसील व जिला मेरठ के द्वारा ग्राम कायस्थ गांवडी में स्थित भूमि खसरा संख्या 537 रकबा 1.211 है0 को शान्ति निकेतन ट्रस्ट द्वारा चेयरमैन चाननलाल ढीगरा पुत्र श्री चुन्नीलाल ढीगरा निवासी सी–1 गुरूनानकपुरा मोदीनगर जिला गाजियाबाद के पक्ष में किया जा चुका है, जिसका अमलदरामद खतौनी वर्ष 1414 ता 1419 फसली के खाता संख्या 00335 पर अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर प्रार्थी शान्ति निकेतन ट्रस्ट द्वारा चेयरमैन चाननलाल ढीगरा पुत्र श्री चुन्नीलाल ढीगरा निवासी सी–1 गुरूनानकपुरा मोदीनगर, जिला गाजियाबाद उपरोक्त विवादित भूमि के संक्रमणीय भूमिधर हैं। स्थलीय फोटोग्राफ को क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा सत्यापित किया गया है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार, मेरठ की आख्या दिनांक 29.09.2008 स्वीकार किये जाने योग्य है। शेष पृष्ठ 3 पर .....

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, मेरठ की आख्या दिनांक 29.09.2008 स्वीकार की जाती है। ग्राम कायस्थ गांवडी परगना तहसील व जिला मेरठ की खतौनी वर्ष 1414 ता 1419 फसली के खसरा नम्बर 412 रकबा 0.274 है0, खसरा नम्बर 420 रकबा 0.611 है0, खसरा नम्बर 418 रकबा 0.552 है0, खसरा नम्बर 537 रकबा 1.211 है0, खसरा नम्बर 539 रकबा 1.342 है0, खसरा नम्बर 419 रकबा 0.444 है0 भूमि को अकृषक घोषित किया जाता है तथा परता लगान माफ किया जाता है। तहसील आख्या दिनांक 23.10.2008 एवं नक्शा–नियम 135 आदेश का अंग रहेंगे। प्रतिबन्ध यह होगा कि समय–समय पर शासकीय संस्थाओं यथा मेरठ विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद अथवा अन्य के द्वारा यदि कोई शर्तें/प्रतिबन्ध वर्णित भूमि पर लगाए जाते हैं, तो वह इस पर पूर्णतः लागू होंगे। आदेश की प्रति उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ/अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), मेरठ एवं उपनिबंधक मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए, तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 07–11–2008

(प्रवीण मिश्र),
उप जिलाधिकारी, मेरठ।

आज यह निर्णय/आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांकः– 07–11–2008

(प्रवीण मिश्र)
उप जिलाधिकारी, मेरठ।

राजस्व अभिलेखागार
प्रतिलिपि अनुभाग
कलक्ट्रेट, मेरठ

राजस्व अभिलेखागार
कलक्ट्रेट, मेरठ
फोटोस्टेट कापी सं0 05
नकलकर्ता के हस्ताक्षर
दिनांक 28/09/22
हस्ताक्षर आर0आर0के0
दिनांक 28 SEP 2022

प्रतिलिपि हेतु दिये गये स्टाम्प शुल्क 13/-
प्रार्थना पत्र का दिनांक 15/09/22
प्रतिलिपि तैयार होने का दिनांक 28/09/22
प्रतिलिपि देने का दिनांक 28 SEP 2022
प्रतिलिपि निर्गत करने वाले के हस्ताक्षर

31/1

महोदय

संलग्न प्रार्थनापत्र शान्तिनिकेतन ट्रस्ट द्वारा चेयरमैन चमन लाल धींगरा पुत्र चुन्नीलाल धींगरा निवासी सी-1 गुरुनानकपुरा मोदीनगर द्वारा अपनी भूमि स्थित ग्राम कायस्थ-गांवड़ी पर० तह० व जिला मेरठ के गाटा सं. 412 क्षे० 0.274 है०, 420 क्षे० 0.611, 410 क्षे० 0.552, 537 क्षे० 1.211, 539 क्षे० 1.342, 419 क्षे० 444 है० को ज० वि० अधि० की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक/आबादी घोषित कराने हेतु दिया है। कार्यानुपालन में अभिलेखीय व स्थलीय आख्या निम्नवत है—

ग्राम कायस्थगांवड़ी में स्थित गाटा सं. 412 क्षे० 0.540 है० में आवेदक 1/2 भाग यानि 0.274 है० व गाटा सं. 420 क्षे० 0.611, 410 क्षे० 0.552, 537 क्षे० 1.211, 539 क्षे० 1.342 व 419 क्षे० 0.444 है० का तन्हा संक्रमणीय भूमिधर व स्वामी है। स्थल पर प्रश्नगत गाटे में कृषि, बागवानी, कुक्कुटपालन व मत्स्यपालन अथवा कृषि से सम्बन्धित अन्य कोई कार्य नहीं हो रहा है बल्कि स्थल पर कालिज का निर्माण कार्य चल रहा है।

अतः प्रश्नगत गाटा नम्बरान को ज० वि० अधि० की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक/आबादी घोषित किये जाने हेतु नियम 135 का नक्शा संलग्न कर आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

[signature]
23/9/10

राजस्व अभिलेखागार
प्रतिलिपि अनुभाग
कलक्ट्रेट, मेरठ

महोदय,

लेखपाल आख्यानुसार प्रश्नगत भूमि को उ० प्र० ज० वि० अधि० की धारा 143 के अंतर्गत अकृषिक/आबादी घोषित किये जाने हेतु आख्या निर्णय हेतु प्रेषित है।

[signature]
23/9/10
(यशपाल सिंह)
प्र० राजस्व निरीक्षक
क्षेत्र–मेरठ

NT-4
364

25/10
06/10/10

N.T. – IV

द्वारा अधिवक्ता / आशीलाल

पेशकार 22 अक्टूबर 10

[signature]
29/9/10
तहसीलदार
मेरठ

महोदय,
आदेशानुसार स्थलीय एवं
अभिलेखीय परीक्षण किया गया। रिपोर्ट में
लेखपाल के वर्णित आराजी [illegible] आवेदक
के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज। नियम 135
के उल्लिखित रकबानुसार संक्रमणीय भूमिधर
[illegible] है मौके पर कालोनी की प्लाटिंग/
चहारदीवारी का निर्माण हो रहा है। लेखपाल/
रा० नि० आख्या ज०वि० अधि० की धारा 143
अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने हेतु संस्तुति
प्रेषित।

20/12/[illegible]
NTR

20/XII/[illegible]

कनै [illegible]

र० नि० [illegible]

20/X/[illegible]

तहसीलदार
[illegible]

नक्शा नियम-135

ग्राम का नाम	सक्रमणीय भूमिधर का नाम, निवास स्थान, पिता का नाम	खतौनी खाता संख्या	खाते का क्षेत्रफल	मालगुजारी	गैर प्रयोजन के लिए प्रयुक्त जोत का क्षेत्रफल		विनिर्दिष्ट गैर कृषि प्रयोग जिसके लिए जोत या उसके भाग का प्रयोग किया जाता है	विवरण
					खसरा नं०	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कायस्थ-गावडी	शान्ति निकेतन ट्रस्ट द्वारा चैयरमैन चमनलाल धींगरा पुत्र चुन्नीलाल धींगरा नि० स्ती-1 गुरु नानकपुरा मोदीनगर।	00216	2.824	139-~	412	0.274	कालिज निर्माण चल रहा है	
		00153	6.247	26475	420	0.611	कालिज निर्माण हो रहा है	
		0065	0.552	27-30	418	0.552	कालिज निर्माण हो रहा है	
		0102	3.017	147.25	419	0.444	कालिज निर्माण हो रहा है	
		00221	1.342	66.30	539	1.342	कालिज निर्माण हो रहा है	
		00335	2.324	107-20	537	1.211	कालिज निर्माण हो रहा है।	

राजस्व अभिलेखागार प्रतिलिपि अनुभाग कलक्ट्रेट, मेरठ

23/9/08
(यशपाल सिंह)
प्र० राजस्व निरीक्षक
क्षेत्र-मेरठ

20/x/08
NTV

रिकॉर्ड अभिलेख नियम 135 प्रतिलिपि